

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.कं.—878 / 2012
 संस्थित दिनांक—05.11.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी उकवा, आरक्षी केन्द्र रूपझर,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1—राकेश पिता घनश्याम तिवारी, उम्र 22 वर्ष
 निवासी—उकवा बस्ती, चौकी, उकवा, थाना रूपझर,
 जिला बालाघाट(म.प्र.)

2—राजेश पिता प्रतापसिंह इनवाती, उम्र 23 वर्ष
 निवासी—उकवा बस्ती, चौकी, उकवा, थाना रूपझर,
 जिला बालाघाट(म.प्र.)

आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक—07 / 01 / 2015 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—457, 380 / 34 के तहत आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक—31.08.2012 से दिनांक—01.09.2012 की दरमियानी रात को ग्राम उकवा स्थित कमपेशर हाऊस, थाना रूपझर अंतर्गत चोरी करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में सूर्यास्त के पश्चात् अतृण सूर्योदय के पूर्व उकवा माईन्स के कमपेशर हाऊस की दीवार को खोदकर व ताला तोड़कर प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह भेदन कर उकवा माईन्स के कमपेशर हाऊस में माईन्स के आधिपत्य की दो बैटरीयां बिना सहमति के बेईमानी पूर्वक हटाकर चोरी की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक—31.08.2012 से दिनांक—01.09.2012 की दरमियानी रात को ग्राम उकवा स्थित कमपेशर हाऊस, थाना रूपझर अंतर्गत उकवा माईन्स के कमपेशर हाऊस में रखी जनरेटर की बैटरी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले जाया गया था, जिसकी सूचना सूचनाकर्ता रत्नदीप द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट चौकी उकवा में दर्ज कराया गया। उक्त सूचना पर चौकी उकवा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—0 / 2012 अंतर्गत धारा—457, 380 भा.द.सं. पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध तथा थाना रूपझर में असल नम्बर पर अपराध क्रमांक—81 / 2012, धारा—457, 380 भा.द.वि.

के अंतर्गत कायम किया गया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। पुलिस द्वारा संदेह के आधार पर आरोपीगण को अपनी अभिरक्षा में लेकर मेमोरेण्डम कथन लिया गया, जिसमें आरोपीगण द्वारा अपना जुर्म कबूल किये जाने तथा उनके बताये स्थान से चोरी गया सामान जप्त किये जाने पर पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के तहत किए गये अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक-31.08.2012 से दिनांक-01.09.2012 की दरमियानी रात को ग्राम उकवा स्थित कम्प्रेसर हाऊस, थाना रूपझर अंतर्गत सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व उकवा माईन्स के कम्प्रेसर हाऊस की दीवार को खोदकर व ताला तोड़कर चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह भेदन किया?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर चोरी करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में उकवा माईन्स के कम्प्रेसर हाऊस में माईन्स के आधिपत्य की दो बैटरीयां बिना सहमति के बेईमानी पूर्वक हटाकर चोरी की ?

विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष:-

5— रत्नदीप (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-01.09.2012 को उकवा माईन्स में सुरक्षा गार्ड का कार्य करता था। कम्प्रेसर हाऊस में कार्य कर रहे रमेश ने उसे बताया था कि कम्प्रेसर हाऊस में रखी दो बैटरी किसी ने दीवार खोदकर, अन्दर घुसकर ताला तोड़कर चोरी कर लिये हैं। छानबीन करने पर उन्हें पता नहीं चला। घटना की रिपोर्ट उसने चौकी उकवा में दर्ज करवा था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 पर चौकी में हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि चोरी किसने किया था, उसे घटना के समय नहीं मालूम था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने उसके द्वारा लेख करायी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप कथन किये हैं, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक

को उकवा माईन्स के आधिपत्य की दो बैटरीयां चोरी हो गई थी।

6— रमेश (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—01.09.2012 और उसके पूर्व से उकवा माईन्स में कम्प्रेसर आपरेटर के पद पर पदस्थ था। दिनांक—01.09.2012 को प्रातः 6:00 बजे उकवा माईन्स में उसकी ड्यूटी थी। जब उसने कम्प्रेसर रूम में जाकर देखा तो उसका ताला टूटा हुआ था और दीवार टूटी हुई थी। जनरेटर चालू करने के लिये दो बैटरीयां थी, जो वहां पर नहीं थी। उक्त बैटरी को किसी व्यक्ति ने चुरा कर ले गया था, इसकी जानकारी उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को दी गई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना कब घटित हुई उसे जानकारी नहीं है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी इस तथ्य का समर्थन होता है कि घटना दिनांक को उकवा माईन्स के आधिपत्य की दो बैटरीयां चोरी हो गई थी।

7— बिकल सोना (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना वर्ष 2012 की है, उस समय वह उकवा माईन्स में फिटर के पद पर कार्यरत था। दिनांक—01.09.2012 को जब वह अपनी ड्यूटी पर आया तो उसे मालूम हुआ कि उकवा माईन्स से जनरेटर हाल में रखी दो बैटरी चोरी हो गई थी। उसने घटना स्थल पर जाकर देखा तो दो बैटरी चोरी हो गई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि बैटरी कब चोरी हुई उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने बैटरी चोरी होने के समय की जानकारी न होना प्रकट किया है, किन्तु घटना दिनांक को दो बैटरी उकवा माईन्स के जनरेटर हाल से चोरी होने के तथ्य का खण्डन उसकी साक्ष्य में बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी इस तथ्य का समर्थन होता है कि घटना दिनांक को उकवा माईन्स के आधिपत्य की दो बैटरीयां चोरी हो गई थी।

8— अन्य साक्षीगण अनिल मडावी (अ.सा.4), शिशुपाल (अ.सा.6) ने भी अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वे आरोपीगण को जानते हैं। घटना के समय वे उकवा माईन्स में सुरक्षाकर्मी के पद पर कार्य करते थे। उकवा माईन्स के कम्प्रेसर हाऊस से खिड़की एवं ताला तोड़कर उसमें रखी दो बैटरी किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर ले गया था। इस प्रकार उक्त सभी साक्षीगण के कथन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय उकवा माईन्स के कम्प्रेसर हाऊस से दो बैटरी चोरी हो गई थी। अब यह देखा जाना है कि उक्त दो बैटरी की चोरी आरोपीगण के द्वारा की गई थी या नहीं।

9— अभियोजन का मामला आरोपीगण के विरुद्ध कथित चोरी का अपराध प्रमाणित किये जाने हेतु मेमोरेण्डम एवं जप्ती कार्यवाही पर आधारित है। ऐसी दशा में मामले में तैयार मेमोरेण्डम एवं जप्ती कार्यवाही को संदेह से परे प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी दुर्गाप्रसाद भगत (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—04.09.2012 को चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक—81/2012, धारा—457, 380 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा रत्नदीप की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षी रमेश, बिकल, रत्नदीप, बेनार, बंशीलाल, गोविंद, कन्हैयालाल, अनिल तथा दिनांक—11.09.2012 को विप्र प्रसाद, शिशुपाल, बिहारी एवं अनंतराव के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उसके द्वारा संदेह पर आरोपीगण को अपनी अभिरक्षा में लेकर आरोपी राकेश से साक्षियों के समक्ष प्रदर्श पी-6 का मेमोरेण्डम कथन लिया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मेमोरेण्डम में आरोपी राकेश ने बताया था कि चोरी की गई बड़ी बैटरी को वह अपने घर ले गया था तथा छोटी बैटरी को राजेश के घर पहुंचा दिया था। आरोपी राकेश ने बड़ी बैटरी को खटिया के नीचे चलकर बरामद किया जाना प्रकट किया तथा उसके बताये अनुसार उसके कब्जे से साक्षियों के समक्ष बैटरी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी राजेश को अभिरक्षा में लेकर साक्षियों के समक्ष मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-7 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मेमोरेण्डम कथन में आरोपी राजेश ने बताया था कि छोटी बैटरी उसके घर के कमरे में रखा हूँ, चलो चलकर बरामद करा देता हूँ, जिस पर उसके बताये अनुसार साक्षियों के समक्ष बैटरी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-9 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने आरोपी मूलचंद का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-3 लिये जाने और उसके लाकर पेश करने पर लकड़ी की चौखट और लोहे की राड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार करना प्रकट किया है तथा आरोपी मूलचंद किशोर होने से उसके विरुद्ध किशोर न्यायालय में अलग से चालान प्रस्तुत किया जाना प्रकट किया गया है।

11— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना की रिपोर्ट चार दिन बाद की गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी राकेश से तैयार मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-6 में लोहे की चौपट वाली बात लिखी है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि लोहे की चौपट चोरी नहीं गया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि लकड़ी की चौपट की जगह लोहे की चौपट लिख गया है। यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन का मामला मात्र दो बैटरी चोरी किये जाने का है। ऐसी दशा में लकड़ी की या लोहे की चौपट मेमोरेण्डम कथन में उल्लेख होना और उक्त वस्तु चोरी न होने की स्वीकारोक्ति से जप्ती अधिकारी के द्वारा लेख किये गये मेमोरेण्डम कार्यवाही में परस्पर विरोधाभास एवं लोप कारित होना प्रकट होता है, जिसका स्पष्टीकरण उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में पेश नहीं किया है।

12— अभियोजन ने मेमोरेण्डम एवं जप्ती कार्यवाही के समर्थन में साक्षीगण शिशुपाल (अ.सा.6) एवं तिहारी बोहरे (अ.सा.7) की साक्ष्य करायी है। शिशुपाल (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व उकवा माईन्स की है। उकवा माईन्स के कम्प्रेसर हाऊस के पास दीवार खोदकर, जनरेटर रूम का ताला तोड़कर दो बैटरी चोरी कर ले गये थे। उसने आरोपी राकेश, राजेश, मूलचंद को चोरी के एक दिन पूर्व कम्प्रेसर हाऊस के आस-पास घुमते हुये देखा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि कम्प्रेसर हाऊस के बाहर वाला हिस्सा खुला हुआ है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के एक दिन पहले आरोपीगण को घुमते हुये देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण को चोरी करते हुये नहीं देखा था। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी के द्वारा आरोपीगण से उसके समक्ष मेमोरेण्डम कार्यवाही के अनुसार पूछताछ किये जाने व जप्ती कार्यवाही किये जाने का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी के पुलिस कथन में भी मेमोरेण्डम एवं जप्ती कार्यवाही उसके समक्ष किये जाने का लेख नहीं किया गया है। ऐसी दशा में इस साक्षी के कथन से मेमोरेण्डम एवं जप्ती कार्यवाही का समर्थन अभियोजन को प्राप्त नहीं होता है।

13— तिहारी बाहरे (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी राकेश को जानता है। शेष आरोपीगण को नहीं जानता। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है, उकवा माईन्स के कम्प्रेसर व जनरेटर हाऊस में रखी दो बैटरी चोरी हो गई थी। उसने किसी को घटना स्थल के आस-पास घुमते हुये नहीं देखा था। उसके समक्ष आरोपीगण ने कोई मेमोरेण्डम कथन नहीं दिये थे किन्तु मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके समक्ष आरोपीगण से पुलिस ने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-8 एवं प्रदर्श पी-9 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-10 एवं प्रदर्श पी-11 की कार्यवाही की थी, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने घटना के समय आरोपीगण को उकवा माईन्स के कम्प्रेसर हाऊस के आस-पास घुमते हुये देखा था। साक्षी ने आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-6, प्रदर्श पी-7 जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-8 एवं प्रदर्श पी-9 की कार्यवाही उसके सामने तैयार किये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने किसी को चोरी करते हुये नहीं देखा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिसवालों के कहने पर पुलिस चौकी में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। इस प्रकार इस साक्षी ने भी मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही का किसी भी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

14— अन्य साक्षी अनिल मडावी (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसे ध्यान नहीं है कि आरोपी मूलचंद ने पुलिस के समक्ष उसकी उपस्थिति में

कथन दिया था या नहीं। साक्षी का आगे यह भी कथन है कि आरोपी मूलचंद ने चोरी की बात कबूल की थी और बैटरी चोरी कर घर रखना बताया था। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे आज ध्यान नहीं है कि आरोपी मूलचंद से पुलिस ने क्या जप्त किया था, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपी मूलचंद को उसके समक्ष गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने आरोपी मूलचंद के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-3 के अनुसार आरोपी राकेश और राजेश के साथ मिलकर चोरी किया जाना और बैटरी को राकेश एवं राजेश के घर ले जाने की जानकारी दिये जाने का समर्थन किया है। यद्यपि साक्षी ने आरोपी राकेश एवं राजेश के बताये अनुसार मेमोरेण्डम कथन लिये जाने एवं उनके आधिपत्य से बैटरी जप्त कर जप्ती की कार्यवाही किये जाने का तथ्य अपनी साक्ष्य में प्रकट नहीं किया है। इस साक्षी ने मात्र किशोर न्यायालय में प्रस्तुत आरोपी मूलचंद से पूछताछ कर मेमोरेण्डम एवं जप्ती कार्यवाही किये जाने का समर्थन किया है, किन्तु मामले में अभियोजित आरोपीगण के विरुद्ध कोई भी महत्वपूर्ण साक्ष्य अपने कथन में प्रकट नहीं किया गया है।

15— अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्षी के रूप में रमेश (अ.सा.1), बिकल सोना (अ.सा.2), रत्नदीप (अ.सा.3), अनिल मडावी (अ.सा.4), शिशुपाल (अ.सा.6) एवं तिहारी बाहरे (अ.सा.7) की साक्ष्य करायी है। उक्त साक्षीगण के कथन से केवल यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय उकवा माईन्स के कम्प्रेसर व जनरेटर हाऊस से दो बैटरी की चोरी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा की गई थी, किन्तु उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में चोरी करते हुये किसी भी व्यक्ति को न देखे जाने का तथ्य प्रकट किया है। उक्त साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी के द्वारा आरोपीगण के बताये अनुसार मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही तैयार किये जाने का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही में साक्षी शिशुपाल (अ.सा.6) एवं तिहारी बाहरे (अ.सा.7) का नाम साक्षीगण के रूप में उल्लेखित है, किन्तु उनके पुलिस कथन में उक्त कार्यवाही किये जाने का तथ्य उल्लेखित नहीं है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने अनुसंधान के दौरान ही उक्त तथ्य का लोप करते हुये मामले में तात्त्विक त्रुटि की है, जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता है।

16— प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी की एकमात्र साक्ष्य के आधार पर कथित मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है, जबकि उक्त अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा जप्ती अधिकारी के रूप में की गई कार्यवाही का समर्थन किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा नहीं किया गया। वास्तव में जिन स्वतंत्र साक्षीगण को मेमोरेण्डम एवं जप्ती कार्यवाही के साक्षी के रूप में शामिल किया गया है वे उकवा माईन्स के ही सेक्यूरिटी गार्ड रहे हैं। यदि जप्ती अधिकारी के द्वारा विधिवत् रूप से मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही की जाती तब अवश्य ही उक्त स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया गया होता। इसके

अलावा स्वतंत्र साक्षीगण जिन्हें मेमोरेण्डम एवं जप्ती कार्यवाही के साक्षी के रूप में अभियोजन की ओर से पेश किया गया है, उनके पुलिस कथन में भी मेमोरेण्डम एवं जप्ती कार्यवाही किये जाने का लेख नहीं है। ऐसी दशा में इन साक्षीगण ने अपने न्यायालयीन कथन में स्वाभाविक रूप में मेमोरेण्डम एवं जप्ती कार्यवाही का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन का मामला आरोपीगण के विरुद्ध संदेहास्पद हो जाता है।

17— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर चोरी करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व उकवा माईन्स के कम्प्रेसर हाऊस की दीवार को खोदकर व ताला तोड़कर प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह भेदन कर उकवा माईन्स के कम्प्रेसर हाऊस में माईन्स के आधिपत्य की दो बैटरीयां बिना सहमति के बेईमानी पूर्वक हटाकर चोरी की। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380/34 के अपराध के अन्तर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

18— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति दो बैटरीयां एक्साईड क्रमांक-एम.एच.डी. 1800 एवं क्रमांक-एम.एच.डी.1500 सुपुर्दनामे पर उकवा माईन्स की ओर से मुख्य सुरक्षा सैनिक तिहारी बहारे पिता बैसाखू बहारे उकवा माईन्स को प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट